पहले आओ पहले पाओ

सम्पत्ति जहाँ है जैसी है

के आधार पर

अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, अलीगढ़

द्वारा संचालित

आवासीय योजनाओं में रिक्त भवन पाने का स्वर्णिम अवसर

पंजीकरण ऑनलाईन बेवसाइट **URL:janhit.upda.in** पर

दिनांक 10.09.2022 से 30.11.2022 तक

किया जा सकता है।

08/9/22
सम्पत्ति लि.

1. योजना का विवरण :—

1. स्वर्ण जयन्ती नगर विस्तार, जी0टी0 रोड स्थित एलमपुर, आगरा रोड/पला रोड स्थित विकास नगर एवं मा0 कांशीराम नगर, बृज विहार आवासीय योजना अलीगढ़ में **"पहले आओ—पहले पाओ"** तथा **सम्पत्ति जहाँ है जैसी है**, के आधार पर प्राधिकरण द्वारा निर्मित EWS/LIG/MIG/HIG दो/तीन मंजिले/डुप्लैक्स आदि भवन (फ्लैट) के आवंटन हेतु ऑनलाइन वेबसाइट (www.janhit.upda.in) पर आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। यह योजना दिनांक 31.08.2022 तक प्रभावी होगी।
2. **"पहले आओ—पहले पाओ तथा सम्पत्ति जहाँ है जैसी है"** के आधार पर आवंटन किया जायेगा।
3. योजना के अन्तर्गत विक्रय हेतु उपलब्ध भवनों का विवरण भवनों की श्रेणी/क्षेत्रफल, स्थिति, अनुमानित मूल्य सहित परिशिष्ट—01 एवं 02 में उपलब्ध है।
4. भवनों की संख्या, स्थिति, क्षेत्रफल तथा दर्शाया गया मूल्य अनुमानित है। इसमें किसी समय संशोधन हो सकता है, जो आवेदक/आवंटी को मान्य होगा।

2. भवनों की संख्या :—

भवनों की संख्या का विवरण परिशिष्ट—01 से 02 में दर्शाया गया है। भवनों की संख्या अनुमानित है, जिसमें बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तन किया जा सकता है। लगातार आवंटन के फलस्वरूप भवनों की संख्या निरन्तर घट रही है।

3. भवनों का मूल्य :—

भवनों के मूल्य का विवरण परिशिष्ट—01 एवं 02 में दर्शाया गया है।

4. आवेदन हेतु पात्रता :—

(क) आवेदक की उम्र 18 वर्ष होनी चाहियें तथा आवेदक भारत का नागरिक हो।

(ख) सम्पत्ति के आवंटन हेतु केवल पति—पत्नी ही संयुक्त रूप से आवेदन कर सकते हैं अन्य कोई संयुक्त आवेदन—पत्र स्वीकार न होगा।

(ग) दुर्बल आय वर्ग भवन हेतु आवेदक की आय अधिक्तम रू0 3,00,00.00 प्रति वर्ष हो (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

(घ) LIG (अल्प आय वर्ग) श्रेणी के आवेदकों की वार्षिक आय रू0—3.00 लाख से 6.00 लाख तक प्रति वर्ष हो (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

5. आवेदन की प्रक्रिया :—

1. सम्पत्ति के आवंटन हेतु पंजीकरण कराने से पूर्व योजना स्थल पर सम्पत्ति देखना आवश्यक है।
2. आवेदन—पत्र प्राधिकरण की **वेबसाइट (www.janhit.upda.in)** के माध्यम से ऑनलाइन लिये जायेंगे। अधूरे आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। सम्पत्ति का विवरण ऑनलाइन **वेबसाइट www.adaaligarh.in** पर देखा जा सकता है।
2. योजना की अन्तिम तिथि के बाद आवेदन पत्र में पते में संशोधन के अतिरिक्त और किसी भी प्रकार का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3. भवन आवंटन हेतु ऑनलाइन आवेदन फार्म के साथ परिशिष्ट में अंकित पंजीकरण धनराशि ऑनलाइन आवेदन के समय अथवा ऑफलाइन बैंक में नकद/ड्राफ्ट (जो उपाध्यक्ष अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय हो) जमा करना होगा। पंजीकरण धनराशि भवन आवंटन के उपरान्त मूल्य में समायोजित कर ली जायेगी।
4. आवेदन करते समय आवेदन पत्र के साथ रू0 100/– फॉर्म चार्ज के रूप में अतिरिक्त जमा करना होगा।
5. आवेदक को ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साईज का नवीनतम स्पष्ट फोटोग्राफ संलग्न करना आवश्यक होगा तथा आधार कार्ड अपलोड करना होगा। ई0डब्लू0एस0 भवनों के आवेदकों को छोड़कर अन्य सभी आवेदकों को पैन कार्ड भी ऑनलाइन अपलोड करना आवश्यक होगा।
6. आवेदन पत्र अपूर्ण होने पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. आवेदन संयुक्त नामों से नहीं किया जा सकता, किन्तु पति–पत्नी के संयुक्त नाम से आवेदन किया जा सकता है। आवंटी मृत्यु आदि की दशा में पंजीकरण/आवंटन का हस्तानान्तरण पति/पत्नी अथवा रक्त सम्बन्धी अथवा वैध उत्तराधिकारी के नाम ही किया जा सकेगा।
8. यदि कोई पंजीकृत संस्था अथवा कम्पनी अपने स्टॉफ आदि के लिए एक से अधिक भवन क्रय करना चाहती है, तो ऐसी स्थिति में एक से अधिक भवन आवंटित किये जा सकते हैं।

6. पंजीकरण राशि एवं पंजीकरण शुल्क :–

परिशिष्ट 01 एवं 02 मे दर्शायी गयी पंजीकरण धनराशि का भुगतान आवेदन के समय ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन नकद/बैंक ड्राफ्ट के द्वारा अलीगढ़ विकास प्राधिकरण की कैनरा बैंक, शाखा रामघाट रोड, अलीगढ़ के खाते में जमा करना होगा।

7. आरक्षण :–

भवनों का पंजीकरण "पहले आओ–पहले पाओ तथा सम्पत्ति जहॉ है जैसी है" के आधार पर खोला गया है, इसके अन्तर्गत किसी भी जाति धर्म के व्यक्ति आवेदन कर प्राथमिकता पर भवन का आवंटन करा सकते हैं। इस आधार पर मूल्य मे किसी भी प्रकार की छूट दिये जाने का प्राविधान नहीं है।

8. आवंटन प्रक्रिया :–

1. योजना में आवासीय भवनो के आवंटन हेतु "पहले आओ पहले पाओ तथा सम्पत्ति जहॉ है जैसी है" के आधार पर ऑनलाइन नियमानुसार प्राप्त आवेदन पत्र की जाँच के बाद पंजीकरण धनराशि जमा की पुष्टि होने के उपरान्त तत्काल भवन का आवंटन कर दिया जायेगा।
2. किसी भवन विशेष हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर निर्णय हेतु सभी आवेदको के मध्य लॉटरी डाली जायेगी।
3. भवनों की विज्ञापित संख्या, स्थिति, क्षेत्रफल तथा दर्शाया गया मूल्य अनुमानित है। इसमे किसी समय संशोधन हो सकता है, जो आवेदक/आवंटी को मान्य होगा।

9. भुगतान प्रक्रिया :–

1. आवेदन पत्र के साथ परिशिष्ट में अंकित पंजीकरण धनराशि तथा रू0 100/– फॉर्म चार्ज ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा। पंजीकरण धनराशि भवन आवंटन के

उपरान्त मूल्य में समायोजित कर ली जायेगी।

2. भवन के मूल्य की ई0डब्लू0एस0 फ्लैट के लिए 15 प्रतिशत धनराशि तथा एल0आई0जी0 भवन के लिए 15 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र के निर्गत होने से तीस दिन की अवधि में जमा करनी होगी, विलम्ब से जमा करने पर आवंटन की तिथि से 15 प्रतिशत दण्ड ब्याज देय होगा।
3. भवन/फ्लैट हेतु भवन के मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि जमा होने के उपरान्त लीजरेन्ट जमा कर तथा लीज एग्रीमेन्ट निष्पादित कर कब्जा प्राप्त किया जा सकेगा।
4. भवनों के मूल्य की अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 12 प्रतिशत ब्याज सहित 05 वर्ष की 20 तिमाही किश्तों में निर्धारित समय तक जमा करानी होगी। **ई0डब्लू0एस0 भवनों** के प्रकरण में अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 10 प्रतिशत ब्याज के साथ 05 वर्ष में 60 मासिक किस्तों में जमा करनी होगी।
5. किस्तों आदि का भुगतान केनरा बैंक, ए0डी0ए0 शाखा, रामघाट रोड, अलीगढ़ में जमा कराना होगा।
6. यदि आवेदक तीन किश्तें लगातार जमा करने में असमर्थ रहता है, तो भवन का आवंटन बिना कारण बताये एवं बिना नोटिस दिये निरस्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में नियमानुसार कटौती कर शेष धनराशि आवेदक को वापस कर दी जायेगी।

10. एक मुश्त भुगतान पर छूट :—

भवन का आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर एक मुश्त भुगतान किये जाने पर मूल्य में 2 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

11. विक्रय पद्धति :—

एक मंजिले से अधिक मंजिल के भवनों/फ्लैटों का आवंटन लीज–होल्ड के आधार पर किया जायेगा तथा एक मंजिले भवन व डुप्लैक्स भवन का आवंटन फ्रीहोल्ड के आधार पर किया जायेगा। लीजरेन्ट भूमि मूल्य का 10 प्रतिशत कब्जा/रजिस्ट्री से पूर्व जमा करना होगा। कॉर्नर सम्पत्ति पर भूमि मूल्य का 10 प्रतिशत अतिरिक्त चार्जेज देय होंगे।

12. पट्टा विलेख/विक्रय विलेख :—

फ्लैट/भवन की सम्पूर्ण धनराशि, लीजरेन्ट, पानी सीवर कनैक्शन चार्ज, डोक्यूमेन्ट चार्ज आदि देयता जमा करने एवं समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराकर आवंटी को अपने खर्चे पर निर्धारित स्टाम्प पेपर एवं प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रारूप पर तीन महीने के अन्दर पट्टा विलेख/विक्रय विलेख निष्पादित कराना होगा। फ्रीहोल्ड सम्पत्ति के संबंध में 10 प्रतिशत लीजरेंट व 02 प्रतिशत फ्रीहोल्ड चार्ज भवन में प्रयुक्त समानुपातिक भूमि के मूल्य पर अतिरिक्त देय होगा। लीजहोल्ड सम्पत्ति के संबंध में केवल 10 प्रतिशत लीजरेंट भवन में प्रयुक्त भूमि के समानुपातिक मूल्य पर देय होगा। यदि निर्धारित अवधि में पट्टा विलेख निष्पादित नहीं कराया जाता है तो भवन का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा। यदि पट्टा अनुबन्ध निष्पादित कराकर कब्जा प्राप्त किया जाता है, तो पट्टा अनुबन्ध के पूर्व लीजरेन्ट, पानी सीवर कनैक्शन चार्ज, डोक्यूमेन्ट चार्ज आदि देयता जमा करनी होगी।

13. कब्जा :—

1. ई0डब्लू0एस0/एल0आई0जी0/एम0आई0जी0/एच0आई0जी0 फ्लैट का भौतिक कब्जा कुल

मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि, लीजरेन्ट एवं अन्य शुल्क आदि जमा करवाने तथा नियमानुसार पट्टा अनुबन्ध पंजीयन के बाद प्राप्त किया जा सकेगा अथवा सम्पूर्ण धनराशि जमा कराने के पश्चात पट्टा विलेख निष्पादन के उपरान्त ही कब्जा प्राप्त किया जा सकेगा।

2. आवंटी विद्युत कनैक्शन सम्बन्धित विभाग से अपने खर्चे पर स्वयं लेगा तथा भवन का गृह कर, जलकर आदि नगर निगम द्वारा निर्धारित दर पर जमा करना होगा।
3. प्राधिकरण की बिना अनुमति लिये भवन में कोई रद्दो बदल मान्य नहीं होगी।
4. आवंटी को किसी बैंक या वित्तीय संस्था से ऋण/लोन प्राप्त करने के लिए उनके अनुरोध पर प्राधिकरण द्वारा भवन बैंक के पक्ष में बंधक रखने की नियमानुसार अनुमति प्रदान की जा सकती है।

14. भवनों का उपयोग :—

आवंटी को भवनों के आवासीय उपयोग की ही अनुमति होगी, अन्य किसी उपयोग की नहीं। यदि आवंटी द्वारा भवन का उपयोग आवासीय के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु किया जाता है तो आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा और बेदखली की कार्यवाही की जायेगी।

15. समर्पण/निरस्तीकरण :—

1. यदि किसी आवेदक द्वारा आवंटित भवन का समर्पण आवंटन पत्र की तिथि के 6 माह के अन्दर किया जाता है तथा नियम शर्तों का उल्लंघन नहीं करता है, तो उस स्थिति में पंजीकरण राशि की 20 प्रतिशत धनराशि कटौती कर शेष धनराशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी।
2. आवंटन तिथि के 6 माह के पश्चात किसी भी प्रकार के समर्पण/निरस्तीकरण की दशा में भवन की कुल पंजीकरण धनराशि जब्त कर ली जायेगी और शेष धनराशि यदि कोई हो तो शेष धनराशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी।
3. भवनों की किश्तें आरम्भ हो जाने के पश्चात न्यूनतम तीन किस्तों की अदायगी समय से न किये जाने की दशा में आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
4. प्राधिकरण द्वारा अपनी किसी चूक या सम्पत्ति विवादित होने के कारण आवंटी के पक्ष में सम्पत्ति की रजिस्ट्री/कब्जा की कार्यवाही नहीं हो पाती है तो ऐसी स्थिति में आवंटी द्वारा अपनी जमा धनराशि वापस लेने की मॉग की जाती है तो आवंटी की जमा धनराशि बिना किसी कटौती के 4 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित वापस कर दी जायेगी।

16. असफल आवेदक :—

1. जिन आवेदकों को किसी कारणवश भवन आवंटित नहीं हो पाते हैं ऐसे आवेदकों को आवेदन की तिथि से एक वर्ष के भीतर धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी। एक वर्ष से अधिक अवधि के पश्चात जमा की तिथि से 04 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज देय होगा। ब्याज की गणना उक्त तिथि से रिफण्ड हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने की तिथि के पिछले माह की अन्तिम तिथि तक की जायेगी।

17. अन्य सूचनायें :—

1. योजना के अन्तर्गत विक्रय हेतु उपलब्ध भवनों का विवरण क्षेत्रफल, अनुमानित मूल्य परिशिष्ट–1 में वर्णित अन्य जानकारी प्राधिकरण के सचिव/प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति से

CamScanner

उनके कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

2. आवेदक को पट्टा विलेख/पट्टा अनुबन्ध में उल्लिखित सभी शर्ते स्वीकार होंगी एवं भविष्य में अनुपालन करना होगा।

3. प्राधिकरण ऐसी किसी धनराशि पर ब्याज के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जो बैंक अथवा जमाकर्ता की त्रुटि से प्राधिकरण के खातें में जमा नहीं हुई हो।

4. आवेदकों से अपेक्षा है कि वे आवंटन से पूर्व भवनों का निरीक्षण अवश्य कर लें। आवंटन होने के उपरान्त किसी प्रकार की गुणवत्ता, विकास कार्य आदि के सम्बन्ध मे कोई विवाद स्वीकार नहीं किया जायेगा।

5. आवेदक द्वारा किसी कारणवश आवंटन स्वीकार न कर धन वापसी की मांग किये जाने पर पूर्व में वर्णित समर्पण/निरस्तीकरण की शर्तो के अनुसार कटौती करने के उपरान्त जमा धनराशि यदि हो तो वापिस की जायगी। ऑनलाइन आवेदन शुल्क रू0 100/– किसी भी दशा में वापिस नहीं किया जायेगा।

6. आवेदन उपरान्त पते में परिवर्तन की दशा में आवेदन पत्र की संख्या/आवंटित भवन का विवरण सहित सूचना आवेदक/आवंटी द्वारा सचिव/सम्पत्ति अधिकारी अलीगढ़ विकास प्राधिकरण को देनी होगी। मूल आवेदन में पता गलत/अपूर्ण अंकित होने अथवा संशोधन समय से सूचित न करने की दशा में प्राधिकरण द्वारा किये गये पत्राचार की जानकारी के अभाव में आवेदक/आवंटी को होने वाली क्षति के लिए प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा।

7. आवंटन होने के उपरान्त किसी भी स्तर पर यदि भविष्य में सक्षम न्यायालय द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम की धारा–18 व अन्य धारकों में प्रतिकर की धनराशि बढ़ायी जाती है तथा सक्षम न्यायालय द्वारा प्रतिकर राशि उपरोक्तानुसार बढ़ाने के पश्चात भूमि अर्जन अधिनियम की धारा–28(ए) के तहत कलेक्टर द्वारा सम्बन्धित अधिसूचना से सम्बद्ध अन्य कृषकों की भूमि दर बढ़ाये जान की स्थिति में उपरोक्त भवन का मूल्य बढता है तो बढ़ा मूल्य आवेदक/आवंटी द्वारा प्राधिकरण में जमा कराना होगा।

8. यदि किसी समय यह पाया गया कि आवेदक ने गलत सूचनांए देकर अथवा तथ्यों का छिपाकर आवेदन किया है अथवा आवंटन/कब्जा आदि प्राप्त कर लिया है तो बिना बताए आवंटन निरस्त करते हुए आवेदक/आवंटी द्वारा जमा की गयी पंजीकरण धनराशि को शत–प्रतिशत जब्त करते हुए शेष जमा धनराशि यदि कोई हो तो बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी।

9. आवेदन प्रक्रिया, आवंटन, धन वापसी आदि किसी भी विषय में विवाद पर उपाध्यक्ष, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, अलीगढ़ का निर्णय अन्तिम होगा। उन्हें अपने विवेकानुसार इस पुस्तिका में उल्लिखित शर्तो में अथवा अन्य किसी स्थान पर एतद विषयक वर्णित किसी भी शर्त/नियम को शिथिल/ संशोधित करने का अधिकार होगा, जो कि आवेदक/आवंटी को मान्य होगा।

10. आवंटी, भवन का सम्पूर्ण मूल्य एवं अन्य देय शुल्क आदि का भुगतान करने तथा विक्रय विलेख/पट्टा विलेख निष्पादित कराने से पूर्व किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरण नहीं कर सकेगा।

11. आवंटन तक इस योजना की किसी भी शर्त में संशोधन का अधिकार अलीगढ़ विकास प्राधिकरण को होगा तथा ऐसे संशोधन आवेदकों/आवंटियों को मान्य होंगे।

86

CamScanner

12. शासन/प्राधिकरण के समय–समय पर जो आदेश/नियम प्रभावी होंगे वह इस योजना के आवंटियो पर भी लागू होगें।
13. इस योजना से सम्बन्धित प्रत्येक मामले पर उपाध्यक्ष महोदय का निर्णय अंतिम/मान्य होगा।
14. किसी भी विवाद की दशा में अलीगढ़ की स्थानीय कोर्ट को ही अधिकार क्षेत्र प्राप्त होगा।

08/9/22 08/09/22 08/9/22

सम्पत्ति लिपिक | सहा0सम्पत्ति अधिकारी | वरि0सम्पत्ति अधि0/विशेष कार्याधिकारी

अलीगढ विकास प्राधिकरण, अलीगढ

CamScanner

परिशिष्ट–01

प्रथम आओ–प्रथम पाओ तथा सम्पत्ति जहाँ है जैसी है, के आधार पर आवंटन हेतु रिक्त सम्पत्ति का विवरण

(पंजी0 ऑनलाईन दि. 10.09.2022 से 30.11 .2022 तक खुला है)

क0 सं0	योजना का नाम	भवनों की श्रेणी व भवन संख्या	कीमत	कुल भवन
1.	2	3	4	5
1.	स्वर्ण जयन्ती नगर विस्तार योजना	HIG Duplex भवन सं0–15,16,17,18,19, 20,21,22,23,24	रू0–55,60,000	10
		HIG single st. भवन सं0–01, 02	रू0–62,70,000	02
		MIG D/S भवन सं0–18,19,21,22,24,25,27, 29,31,32,34,35,38,39,40,41,44,45,47	भूतल–रू0–23,55,000 प्र0तल–रू0–20,25,000	19
		LIG /Mini MIG D/S भवन सं0– 16/बी प्रथम तल	प्र0तल रू0–19,80,000	01
2.	आगरा रोड स्थित विकास नगर योजना	EWS D/S भूतल– 33, 63, 83, 141, 143, 205, 211, 243, 261, 299, 331, 341, 343, 353, 357, 365, 375, 379, 383, 395, 403, 417, 435, 451 प्रथम तल– 34, 36, 40, 58, 60, 66, 102, 154, 156, 160, 164, 166, 180, 250, 252, 256, 276, 354, 358, 362, 366, 370, 386, 392, 396, 406, 408, 412, 414, 418, 422, 424, 426, 428, 432, 450, 452, 458, 460, 462	भूतल रू0–7,35,000 प्र0तल रू0–5,62,000	64
3.	बृज विहार योजना	LIG D/S भूतल– 3, 5 प्रथम तल– 32, 46	भूतल रू0–9,85,000 प्र0तल रू0–7,75,000	04
		EWS D/S सं0–23 भूतल	भूतल रू0–4,70,000	01
4.	पलारोड स्थित मा. कांशीराम नगर योजना	EWS D/S भूतल–37, 45, 49, 57, 65, 71, 75, 77, 79, प्रथम तल–50, 52, 58, 72, 74, 76, 78, 80	भूतल रू0–7,50,000 प्र0तल रू0–6,30,000	17
5.	जी0टी0रोड स्थित ऐलमपुर योजना	EWS (तीनमंजिले) भवन	भूतल रू0–7,37,000 प्र0तल रू0–6,49,500 द्वि.तल रू0–6,71,500	105
			कुल भवन	223

रिक्त सम्पत्ति का विवरण – प्राधिकरण वेबसाइट www.adaaligarh.in पर देखा जा सकता है।
सम्पत्ति के आवंटन हेतु पंजीकरण – वेबसाइट–URL : Janhit.upda.in पर किया जायेगा।

Sk property

CamScanner

परिशिष्ट–02

प्राधिकरण की संचालित आवासीय योजनाओं में प्रथम आओ–प्रथम पाओ तथा जहाँ है–जैसा है, के आधार पर इच्छुक आवेदकों के लिए दि. 10.09.22 से दि. 30.11.2022 तक रिक्त भवनों के आवंटन हेतु ऑन लाईन पंजीकरण का विवरण :– बेवसाइट : URL: janhit.upda.in

कमॉक	योजना का नाम/ सम्पत्ति की श्रेणी	भवन निर्माण की स्थिति	सम्पत्ति की सं0	अनुमानित क्षेत्रफल (प्लाट ऐरिया /कवर्ड ऐरिया वर्गमी0में)	कीमत प्रति भवन (रू0 में)	पंजीकरण धनराशि (कीमत का 10 प्रतिशत)	किस्तों एवं भुगतान का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	स्वर्ण जयन्ती नगर विस्तार योजना						
	HIG Duplex भवन	तीन कमरे नीचे, दो कमरे उपर तथा किचिन, वाथरूम,लैट्रिन	10	112.50 /139	55,60,000	5,56,000	15 % आवंटन के 01 माह के अन्दर एवं शेष 75% का भुगतान 05 वर्ष की 20 समान तिमाही किस्तों में 12% साधारण ब्याज सहित प्रति तिमाही किस्त रू0–2,80,290. 00
	HIG Singel Storiey भवन (ए0ब्लॉक)	(तीन बडे कमरे, किचिन,वाथरूम,लैट्रिन आदि	सं0–1 सं0–2	144.45 135	62,70,000 60,52,000	6,27,000 6,05,200	15 % आवंटन के 01 माह के अन्दर एवं शेष 75% 05 वर्ष की 20 समान तिमाही किस्तों में 12% साधारण ब्याज सहित प्रति किस्त रू0–3,16,085.00 प्रति तिमाही किस्त रू0–3,05,95.00
	MIG D/S भवन	दोमंजिले मकान (दो बडे कमरे, किचिन,वाथरूम, लैट्रिन	19	72/53.66	भूतल–23,55,000 प्र0तल–20,25,000	2,35,500 2,02,500	15 % आवंटन के 01 माह के अन्दर एवं शेष 75% का भुगतान 05 वर्ष की 20 समान तिमाही किस्तों में 12% साधारण ब्याज सहित प्रति तिमाही किस्त भूतल–रू0–1,18,720.00 प्र0 तल–रू0–1,02,085.00
	LIG/M.MIG D/Sभवन (ए0ब्लॉक)	दोमंजिले मकान (दो बडे कमरे, किचिन,वाथरूम,लैट्रिन	01	72/53.66	भूतल–23,10,000 प्रथमतल–19,80,000	2,31,000	15 % आवंटन के 01 माह के अन्दर एवं शेष 75% 5 वर्ष की 20 समान तिमाही किस्तों में 12% साधारण ब्याज सहित प्रति किस्त भूतल–रू0–1,16,455.00 प्रथम तल–रू0–99,815.00
2.	बृज विहार योजना LIG D/Sभवन	दोमंजिले मकान (दोकमरा,किचिन, वाथरूम,लैट्रिन	04	60/36	भूतल–9,85,000 प्रथमतल–7,75,000	98,500 77,500	15% आवंटन के 01 माह के अन्दर एवं शेष 75% 5 वर्ष की 20 समान तिमाही किस्तों में 12% साधारण ब्याज सहित प्रति किस्त भूतल–रू0–49,660.00 प्रथम तल–रू0–39,070.00
	बृज विहार योजना EWS D/S भवन	दोमंजिले मकान (एक कमरा, किचिन, वाथरूम,लैट्रिन	01	30/22	भूतल–4,70,000 प्रथमतल–4,10,000	47,000	15% आवंटन के 01 माह के अन्दर एवं शेष 75% 5 वर्ष की 60 समान मासिक किस्तों में 10% साधारण ब्याज सहित प्रति किस्त–भूतल–रू0–07,490.00 प्रथम तल–रू0–06,535.00

S.K. Land

CamScanner

3.	आगरा रोड स्थित विकास नगर योजना EWS D/S भवन	दोमंजिले मकान (एक कमरा, किचिन, बाथरूम,लैट्रिन	64	30/22	भूतल–7,35,000 प्रथमतल–5,62,000	73,500	15% आवंटन के 01 माह के अन्दर एवं शेष 75% 5 वर्ष की 60 समान मासिक किस्तों में 10% साधारण ब्याज सहित प्रति किस्त भूतल–रू0–11,715.00 प्रथम तल–रू0–08,960.00
4.	पला रोड स्थित मा0 कांशीराम नगर योजना	दोमंजिले मकान (एक कमरा, किचिन, बाथरूम,लैट्रिन	17	30/22	भूतल–7,50,000 प्रथमतल–6,30,000	75,000	15% आवंटन के 01 माह के अन्दर एवं शेष 75% 5 वर्ष की 60 समान मासिक किस्तों में 10% साधारण ब्याज सहित प्रति किस्त भूतल–रू0–11,955.00 प्रथम तल–रू0–10,040.00
5.	जी0टी0रोड स्थित ऐलमपुर योजना	तीन मंजिले मकान (एक कमरा, किचिन, बाथरूम,लैट्रिन	105	30/22	भूतल–7,37,000 प्रथमतल–6,49,500 द्वितीय तल–6,71,500	73,700	15% आवंटन के 01 माह के अन्दर एवं शेष 75% 5 वर्ष की 60 समान मासिक किस्तों में 10% साधारण ब्याज सहित प्रति किस्त भूतल–रू0–11,745.00 प्रथम तल–रू0–10,350.00 द्वितीय तल–रू0–10,705.00
		कुल योग–	223				

CamScanner